कार्यालय कलेक्टर, जिला इन्दौर म0प्र0

क्रमांक / 377 / स्थापना / 2 / 2026 इन्दौर, दिनांक 27 / 04 / 2026

कारण बताओ सूचना पत्र

प्रति,

श्री ओमनारायण बछकुल
डिप्टी कलेक्टर
तत्का0 अनुविभागीय अधिकारी कनाड़िया इन्दौर

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता हैं कि, शिकायतकर्ता अधिवक्ता श्री अतुल यादव द्वारा आपके विरूद्ध पद का दुरूपयोग करते हुए विधि विरूद्ध कार्य करने के संबंध में प्रस्तुत जांच प्रतिवेदन अनुसार बिन्दु निम्नानुसार है :–

(1) आपके न्यायालय में इन्द्राज दुरूस्ती संबंधी दर्ज प्रकरण क्रमांक 0030 / अ–6(अ) / 2025–26 में पारित आदेश दिनांक 23.01.2026 अनुसार आवेदिका श्रीमती सुरजीत कौर पति सुरजीत सिंह अरोरा निवासी 1007 खातीवाला टैंक इन्दौर द्वारा ग्राम अरंडिया तहसील कनाड़िया सिति उनके स्वामित्व एवं अधिपत्य की भुमि सर्वे नंबर 208 / 2 / 1 / 2 / 1, 208 / 2 / 1 / 2 / 2 कुल रकबा 0.364 हे0 जिसका रिकार्ड खसरे में सही है, परन्तु नक्शे में खसरा त्रुटिवश 208 / 2 / 3 चढ़ा हुआ है, जो कि त्रुटिपूर्ण है, जिसके संशोधन हेतु आवेदक द्वारा आपके न्यायालय में नक्शा संशोधन रकने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया, जिसके संबंध में कतिपय बिन्दुओं पर तथ्यात्मक प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर आपके द्वारा दिनांक 19.09.2025 की आदेशिका पर उक्त प्रकरण में त्रुटि पॉच वर्ष से अधिक पूर्व की होने से सुधार की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु कलेक्टर महोदय की अनुमति ली जाना आवश्यक होना उल्लेखित किया जाकर नक्शे में त्रुटि सुधार हेतु अनुमति लिए जाने हेतु प्रकरण अपर कलेक्टर जिला इन्दौर के न्यायालय में अंतरित किया गया।

(2) यह कि, आपसे प्राप्त उक्त प्रकरण में दिनांक 08.10.2025 को आदेशिका में उल्लेखित कतिपय आपत्तियों का निराकरण कर प्रकरण पुनः प्रस्तुत करने हेतु आपको निर्देशित किया गया, किन्तु आपके द्वारा नायब तहसीलदार, तहसील कनाड़िया से प्राप्त प्रतिवेदन दिनांक 02.12.2025 के आधार पर आवेदनकर्ता द्वारा प्रस्तुत आवेदन को मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115–116 के अन्तर्गत स्वीकार किया जाकर, नक्शे में तकनीकी विसंगति दर्ज होने से राजस्व रिकॉर्ड में पूर्व में दर्ज त्रुटिपूर्ण सर्वे नंबर के स्थान पर राजस्व रिकॉर्ड अनुसार सही सर्वे नंबर 208 / 2 / 1 / 2 / 1, 208 / 2 / 1 / 2 / 2 दर्ज कर दुरूस्त कर हल्का पटवारी के द्वारा प्रस्तुत संशोधित नक्शा तरमीम को स्वीकृत किया जाकर, राजस्व अभिलेख में अमल दरामद हेतु हल्का पटवारी को आदेशित किया जाकर, तदनुसार दिनांक 23.01.2026 को उक्त प्रकरण में आदेश पारित किया गया।

कलेक्टर,
जिला–इन्दौर (म0प्र0)

Bagde/SCN new 1

(3) यह उल्लेखनीय है कि, आपको यह ज्ञात था कि उक्त प्रकरण में त्रुटि पाँच वर्ष से अधिक पूर्व की है, जिसके फलस्वरूप नक्शे में त्रुटि सुधार की कार्यवाही प्रारंभ करने से पूर्व कलेक्टर महोदय की अनुमति ली जाना आवश्यक होती है, जैसा कि स्वयं उनके द्वारा दिनांक 19.09.2025 की आदेशिका पर यह उल्लेख किया गया है, इसके उपरांत भी आपके द्वारा इन्द्राज दुरूस्ती प्रकरण में नक्शा तरमीम की कार्यवाही प्रारंभ करने हेतु आदेश पारित किया गया, जो कि विधिसम्मत प्रतीत नहीं होता है।

शिकायतकर्ता द्वारा प्रस्तुत शिकायत पत्र में अंकित तथ्यों का "म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115–116 में उल्लिखित सुसंगत प्रावधानों के आलोक में परीक्षण किया गया तथा जाँच में शिकायत पत्र में उल्लेखित कतिपय बिन्दुओं में अंकित तथ्य आंशिक रूप से सही होना पाए गए। आपको यह ज्ञात होते हुए भी कि प्रकरण में नक्शा त्रुटि पाँच वर्ष से अधिक पूर्व समय की होकर, जिसमें कि भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के अन्तर्गत कलेक्टर महोदय की बिना सक्षम अनुमति/अनुमोदन के बगैर आवेदन स्वीकार किया जाकर, अमल दरामद कराने हेतु आदेश पारित किया गया, जो कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115 के सुसंगत प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन किए जाने की श्रेणी में होकर निर्देशों की अवहेलना एवं स्वेच्छाचारिता की श्रेणी के अंतर्गत आता है।

इसके अतिरिक्त यह भी उल्लेखनीय है कि, उक्त प्रकरण की आदेशिका के पृष्ठ क्रमांक 5 व 6 पर अधोहस्ताक्षरी द्वारा की गई पृच्छा के परिप्रेक्ष्य में अनुविभागीय अधिकारी द्वारा वस्तुस्थिति भी स्पष्ट नहीं की गई और उक्त प्रकरण में नक्शा तरमीम की कार्यवाही प्रारंभ करने के संबंध में एक पक्षीय आदेश बिना कलेक्टर महोदय की अनुमति के पारित किया गया, जो कि मध्यप्रदेश भू–राजस्व संहिता 1959 की धारा 115–116 में उल्लेखित प्रावधानों के आलोक में अपरोक्त तथ्यों के आधार पर नियमों के विपरीत होकर घोर आपत्तिजनक है।

इस प्रकार आपके द्वारा शासकीय कर्त्तव्य में घोर लापरवाही बरती जाकर कदाचरण का कृत्य किया गया जो मध्यप्रदेश,सिविल सेवा (आचरण)नियम 1965 के नियम–3 (1) (एक) (दो) (तीन). (2) (एक) में निहित प्रावधानों के विरूद्व हैं ।

अतः उक्त कृत्य के लिये मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण नियन्त्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत क्यो न आपके विरूद्व अनुशासनात्मक कार्यवाही किये जाने के प्रस्ताव आयुक्त, इन्दौर संभाग इन्दौर भेजे जावें ? इस संबंध में आप अपना स्पष्टीकरण कारण बताओ सूचना प्राप्ति के सात दिवस में अनिवार्य रुप से प्रस्तुत करे । निर्धारित समयावधि में प्रतिउत्तर प्राप्त नही होने की दशा में एक पक्षीय कार्यवाही आदेशित की जा सकेंगी। जिसका पूर्ण उत्तरदायित्व आपका रहेगा।

(शिवम वर्मा)
कलेक्टर
जिला इन्दौर (म.प्र.)